पत्र सं०- // आ0स0 // सामान्य वेतन निर्धारण // 2026-27 // 180

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 01 जून, 2026

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
राज्य कर गोमती नगर, लखनऊ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिला कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में शासनादेश संख्या 2025/वे०आ०-2-77/दस-2025-ई०प०क०सं० 1846680 दिनांक 10.02.2025 (संलग्न) में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यालय द्वारा परिपत्र सं०-सामान्य वेतन निर्धारण-आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग-2024-2025/1019/राज्य कर, दिनांक 13.02.2025 जारी किया गया था, परन्तु अभी भी फील्ड कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.02.2025 व परिपत्र दिनांक 13.02.2025 का पालन नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरुप कतिपय प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत हो रही हैं।

अतः सभी आहरण वितरण अधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व उनकी सेवापुस्तिका एवं अद्यतन वेतन निर्धारण आदेश की जांच जोनल कार्यालय में तैनात लेखा परीक्षक / वरिष्ठ लेखा परीक्षक से कराया जाय| इसके अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे कार्मिक जिस का पदोन्नति अथवा ए0सी0पी0 या अन्य किसी कारण से वेतन निर्धारण किया जाता है तो वेतन निर्धारण की जांच उपर्युक्त शासनादेश के क्रम सं०-7(III) के अनुपालन में आवश्यक रूप से **उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये** । यदि जोनल कार्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक तैनात नहीं है तो अपने समीपस्थ जोनल कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लेखा परीक्षक से जांच कराना सुनिश्चित करते हुए शासनादेश में उल्लिखित प्रारुप पर वचनबध्यता प्रमाण पत्र के साथ अवकाश नकदीकरण के प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें, ताकि विभाग को न्यायालय के समक्ष किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना न करना पडे। शासनादेश का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का माना जायेगा अतः उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक - उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 01-06-2026
18:08:24

(डा० नितिन बंसल)
आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आहरण-वितरण अधिकारी को उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में कार्मिक की सेवापुस्तिका में सहमति पत्र चस्पा किये जाने का प्रमाण-पत्र 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
4. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

878

श्रीमती ...पूर्णिमा...
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।
3/6/26
उपायुक्त (आई०टी०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक 03-06-26

Digitally signed by
ASHOK KUMAR SINGH
Date: 01-06-2026
18:12:49

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ